न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 13/2018 तारीख रजू :–28.01.2018

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. तरूण सिंधी पुत्र राजकुमार सिंधी जाति सिंधी निवासी 2/137 हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर मैसर्स गुरूकृपा ज्यूस एण्ड कन्फेक्शनरी प्रेम मन्दिर सिनेमा के पास बजरिया सवाई माधोपुर
2. रवि गुप्ता पुत्र सतीश कुमार गुप्ता निवासी 78 चेतक पार्क के सामने बजरिया सवाई माधोपुर मैसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स 139 आई एच एस कॉलोनी बजरिया सवाई ामधोपुर।
3. सोहन लाल प्रजापति निवासी 37 ए हरिदास नगर गणेश कॉलोनी झोटवाडा जयपुर (प्रोपराईटर) मैसर्स मां अन्जनी एन्टरप्राईजेज प्लॉट नं0 ए 3 चांदनी चौक कालवार रोड झोटवाडा जयपुर।
4. प्रसुन नरेन्द्र अवस्थी पुत्र नरेन्द्र शशिमोहन अवस्थी (नोमिनी) M/s Delicia Foods F-4 Harihar Corporation Compound, krishna Complex Mankoli Naka, Depode Vilage, Bhiwandi, Thane – 421302
5. जयेश रघुनाथ वैध पुत्र रघुनाथ धम्जी वैध (नोमिनी) M/s Moginis Foods Pvt Ltd B-59 Veera Desai Industrial Estate Off New Link Road Andheri West Mumbai 400053

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 30/6/22

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:15 IST
Reason: SelfAttested

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 08.02.2017 को समय 1.30 पी.एम. पर मैसर्स गुरूकृपा ज्यूस एण्ड कन्फेक्शनरी प्रेम मन्दिर सिनेमा के पास बजरिया सवाई माधोपुर पहुंचा वहां पर तरूण

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

सिंधी पुत्र राजकुमार सिंधी जाति सिंधी निवासी 2/137 हाउसिंग बोर्ड सवाई माधोपुर उपस्थित था, को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी गई जिसपर विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश नहीं की गई। तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया गया तथा विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Bar Cake (Monginis) 100 gram** के लगभग 25 पैकिट्स दुकान में रखे डीप फ्रिज में रखे हुए थे कि मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Bar Cake (Monginis) 100 gram** के 10 पैकिट्स वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय कर राशि 300/- रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर लिये गये तथा तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधकारी ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ **Bar Cake (Monginis) 100 gram** के 10 पैकिट्स को खोलकर 250-250 ग्राम को साफ एवं सुखी कांच की शिशियों में डालकर ढक्कन को अच्छी तरह बन्द कर आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक एच 1098 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवें एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जें में लिया गया। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे विक्रेता तरूण सिंधी पुत्र राजकुमार सिंधी ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यलय पहुंच कर फार्म नं0 6 की प्रतियां तैयार की गई और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर [illegible] की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम वार्ड बॉय द्वारा खाद्य [illegible] कोटा को जमा करवाकर अलग अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बन्द नमूना [illegible] मय फार्म स0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द [illegible] भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूना [illegible] चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओ (मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2017/502 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:15 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2)(।।) का उल्लंघन किया है। अतः अभियुक्तगण को अधिकत्तम शास्ति राशि से दण्डित किया जावें।

अभियुक्त संख्या 1 द्वारा जबाव में तर्क दिया गया कि अभियुक्त से लिये गये सेम्पल का निर्माण अभियुक्त द्वारा नही किया जाता है। उसके द्वारा उक्त वस्तु क्रय की गई है इसलिए सेम्पल में किसी भी तरह की कमी के लिये निर्माता कम्पनी को जिम्मेदार बताते हुये न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करने हेतु प्रकरण का निस्तारण हेतु निवेदन किया गया। अभियुक्त संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जबाव में तर्क दिया गया कि अभियुक्त से लिये गये सेम्पल का निर्माण अभियुक्त द्वारा नही किया जाता है। उसके द्वारा उक्त वस्तु क्रय की गई है तथा ज्यों की त्यों विक्रय करना बतलाते हुये किसी भी तरह की कमी के लिये निर्माता कम्पनी को जिम्मेदार बताते हुये न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करने हुए प्रकरण का निस्तारण हेतु निवेदन किया गया। अभियुक्त संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत जबाव में तर्क दिया गया कि अभियुक्त से लिये गये सेम्पल का निर्माण अभियुक्त द्वारा नही किया जाता है। उसके द्वारा उक्त वस्तु क्रय की गई है तथा ज्यों की त्यों विक्रय करना बतलाते हुये किसी भी तरह की कमी के लिये निर्माता कम्पनी को जिम्मेदार बताते हुये न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करने हुए प्रकरण का निस्तारण हेतु निवेदन किया गया। अभियुक्त संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत जबाव में तर्क दिया गया कि अभियुक्त से लिये गये सेम्पल का निर्माण अभियुक्त द्वारा नही किया जाता है। उसके द्वारा उक्त वस्तु क्रय की गई है तथा ज्यों की त्यों विक्रय करना बतलाते हुये किसी भी तरह की कमी के लिये निर्माता कम्पनी को जिम्मेदार बताते हुये न्यूनतम जुर्माने से दण्डित करने हुए प्रकरण का निस्तारण हेतु निवेदन किया गया। अभियुक्त संख्या 5 निर्माता द्वारा प्रस्तुत जबाव में तर्क दिया की उनके द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ का निर्माण एवं विक्रय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के आधार पर किया जाना बतलाया। तथा पुनः अपने जबाव में तर्क दिया कि उनके द्वारा भूलवश/नियमों की अज्ञानता के कारण नमूना डिफेक्ट पाया गया है इस त्रुटि को हमारे द्वारा अब ठीक लिया गया बतलाया। अतः अपने जबाव के अन्त के में अभियुक्तगण द्वारा न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस 36/एक्ट/2017/40 दिनांक 16.02.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Bar Cake** (Mongini's) 1[illegible] मिसब्राण्ड पाया गया जिसका विक्रय कर खाद्य कारोबारकर्ता गण एवं विक्रेता [illegible] एवं [illegible] ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:15 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त संख्या 1 लगायत 4 को मिसब्राण्ड प्रकार के खाद्य पदार्थ Bar Cake (Monginis) 100 gram का विक्रय करने तथा अभियुक्त संख्या 5 को मिसब्राण्ड प्रकार के खाद्य पदार्थ Bar Cake (Monginis) 100 gram का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 52 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को मिसब्राण्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Bar Cake (Monginis) 100 gram का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 52 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये), अभियुक्त संख्या 2 पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये), अभियुक्त संख्या 3 पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये), अभियुक्त संख्या 4 पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये) तथा अभियुक्त संख्या 5 पर मिसब्राण्ड(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii)) प्रकृति के खाद्य पदार्थ Bar Cake (Monginis) 100 gram का विक्रय व निर्माण करने पर 10,000/–रू0 (अक्षरे दस हजार रूपये)की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक–एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30/6/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:56:15 IST
Reason: SelfAttested